

OFFICE OF THE
ELECTRICAL EXECUTIVE ENGINEER

Letter No. 838 ELECTRIC SUPPLY DIVISION, HAZARIBAG
To, -----EEE/H.Bag

dt. 29/04/18

The Nodal Officer
ED Cum PCCF
Forest Department
Vanbawan Ranchi.

Sub: Clarification regarding cancellation of challan and re-uploading of demand.

Ref: MoEF/SG File No. FP/JH/TRANS/17225/2015.

Dear Sir,

With reference to above, it is to inform that the demand raised by the DFO Hazaribagh, west division was uploaded to the website and accordingly the approval has been accorded on 28.03.2018.

Subsequently the challan for payment against the demand was generated but due to some technical problem the payment could not be made and the validity of the challan got expired.

So, the expired challan was cancelled through the website and for generation of a new valid challan the same demand as raised by the DFO Hazaribagh, west division has been uploaded again to the website.

You are kindly requested to accord the necessary approval so that a new valid challan may be generated for making payment against the demand raised by the DFO Hazaribagh, west division, in connection with MoEF/SG File No. FP/JH/TRANS/17225/2015.

Thanking You.

Yours faithfully


Electrical Executive Engineer
Electric Supply Division, H.bag



झारखण्ड सरकार

**कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग**

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

सेवा में, पत्रांक 1435 दिनांक 25/03/19

कार्यपालक अभियंता,
बिजली आपूर्ति प्रमण्डल,
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०,
हीराबाग, हजारीबाग।

विषय:- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के०भी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति में लगाए गए शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची का पत्रांक **FP/JH/TRANS/17225/2015/2362** दिनांक **29.06.2018**, प्रधान मुख्य वन झारखण्ड, रांची के ज्ञापांक 2533 दिनांक 10.07.2018, एवं आपका पत्रांक 1383 दिनांक 20.07.2018, इस कार्यालय का पत्रांक 4540 दिनांक 11.08.2018, पत्रांक 5393 दिनांक 05.10.2018 तथा पत्रांक 6159 दिनांक 20.11.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची का पत्रांक **FP/JH/TRANS/17225/2015/2362** दिनांक 29.06.2018 द्वारा विषयगत परियोजना को 23 शर्तों के साथ स्टेज I की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। इस कार्यालय द्वारा तैयार किये गये मांगपत्र के आधार पर समेकित मांग पत्र समर्पित है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधन नियम 2014) के तहत मांग पत्र के अनुरूप एन०पी०भी०-रू० 45,22,656.60 (पैंतालीस लाख बाईस हजार छः सौ छपन रू० साठ पैसे), पेनल एन० पी० भी० (Penal N.P.V for violation equal to 20% x 2 Year 8 month) 24,12,083.52 (चौबीस लाख बारह हजार तिरासी रू० बावन पैसे), Simple Interest 12% x 2 Year 8 month 7,71,867.00 (सात लाख एकहतर हजार आठ सौ सठसठ रू०) एवं क्षतिपूरक वनरोपण – रू० 29,87,463.08 (उन्नतीस लाख सतासी हजार चार सौ तीरसठ रू० आठ पैसे कुल **1,06,94,070.20**

(एक करोड़ छः लाख चौरानवे हजार सत्तर रू० बीस पैसे) मात्र भुगतये राशि e-portal mode से Challan generate करते हुए Jharkhand CAMPA a/c no. 520101263743558 में भुगतान कर सूचना/पावती रसीद सहित इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय। साथ ही अनुरोध है कि केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगाये गये अन्य सभी शर्तों का भी अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में Soft एवं Hard कॉपी 09 प्रति में समर्पित किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन/



वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

संशोधित मांग पत्र

केन्द्रीय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा
सैद्धान्तिक सहमति प्रसंग – **FP/JH/TRANS/17225/2015/2362** दिनांक **29.06.2018**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण चौपारण से चोरदाहा 11 के०भी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु
5.6322 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सशर्त सैद्धान्तिक सहमति में
निहित शर्तों के आलोक में मांग पत्र:-

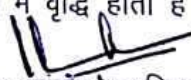
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल

वनों का घनत्व :- 0.6

	रकवा	दर (हे०)	राशि (रु०)
(1.) N.P.V,	5.6322 हे०	8,03,000.00	45,22,656.60 (पैंतालीस लाख बाईस हजार छः सौ छपन रु० साठ पैसे) मात्र।
(2) Penal N.P.V for violation equal to 20% x 2 Year 8 month			24,12,083.52 (चौबीस लाख बारह हजार तिरासी रु० बावन पैसे)
(3) Simple Intetest 12% for 2 years 8 month			7,71,867.00 (सात लाख एकहतर हजार आठ सौ सठसठ रु०)
(4) क्षतिपूरक वनरोपण (5.6322 हे० X 2) = 11.2644 हे० या 12 हे० वन भूमि पर वनरोपण हेतु राशि की मांग।	क्षतिपूरक वनरोपण के वास्तविक गणना के आधार पर मांग की गई राशि।		29,87,463.08 उन्तीस लाख सतासी हजार चार सौ तीरसठ रु० आठ पैसे)
		कुल :-	1,06,94,070.20(एक करोड़ छः लाख चौरानवे हजार सत्तर रु० बीस पैसे) मात्र।

Abstract		
	NPV	45,22,656.60
	Penal NPV Violation	24,12,083.52
	Simple Intetest 12% for 2 years 8 month	7,71,867.00
	CA	29,87,463.08
	Total :-	1,06,94,070.20

यदि प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) दर में वृद्धि होती है तो संशोधित वृद्धि दर पर बकाया राशि विभाग के पक्ष में जमा करना होगा।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल।

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग
कैम्पा क्षतिपूरक वनरोपण योजना अंतर्गत छोटी उंचाई के पौधे के रैखिक वृक्षारोपण कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2028-29 तक का प्रावकलन

योजना का नाम :- क्षतिपूरक वनरोपण

प्रक्षेत्र का नाम :-

चौपारण

परियोजना का नाम :- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (चौपारण से चोरदाहा 11 कं०मी० 56322 हे०)

एकैसिया, चकुडी, छतवन, बैर, करंज, आवला इत्यादि
 967 (प्रति कि०मी०)

ट्रांशमिशन लाईन की लम्बाई :- (8.046 कि०मी०)

14.55 यूनिट

(Right of way- 7 m चौ० X 8046 m ल० = 56322 / 3870 = 14.55 यू०)

घेरान कार्य - 266 m x 14.55 =

3870.30 मी०

पी०एफ०/ स्थल का नाम

चौपारण, ताजपुर, बिगहा, डोमाडान्दे

1 यूनिट का परिमाण (90m x 43m) :-

1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई :- 266m प्रति कि०मी०

पौधों की दूरी :-

2m x 2m

मजदूरी दर :-

237.38

क्र.सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस/ यूनिट (सं०)	दर प्रति यूनिट			14.55 यूनिट का प्रावकलित राशि			
				मजदूरी	सामग्री / यूनिट रु०	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष 2019-20										
1	सर्वेक्षण एवं सिमांकन	प्रति इकाई	1.161	275.60	0.00	275.60	4009.95	0.00	4009.95	
2.3	घनी झाड़ी	प्रति इकाई	3.87	918.66	0.00	918.66	13366.51	0.00	13366.51	
3	घेरान कार्य	प्रति इकाई								
3.1	आठसीसी० पीटर 90 से० 823.00 रु० प्रति पीटर। पीटर का आकार 7'x 4" x 4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड्ढा में दलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	129.00	30622.02	43448.00	74070.02	445550.39	632168.40	1077718.79	
3.2	कटीलतार तार 4 Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रु० प्रति कि०ग्राम की दर से 250 कि०ग्राम	प्रति इकाई	0.00	0.00	16080.00	16080.00	0.00	233964.00	233964.00	
3.3	कटीलतार को खींचने, सीधा करने, स्टैल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	6.58	1561.96	0.00	1561.96	22726.52	0.00	22726.52	
3.4	आठसीसी० पीटर एवं कटीलतार की कार्य स्थल तक दुलाई 15% of (3.1 + 3.2)	प्रति इकाई	24.58	5834.80	7687.00	13521.80	84896.35	111845.85	196742.20	
4	मृदा कार्य (0.3 मी x 0.3 मी० x 0.3 मी०) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	21.28	5051.45	0.00	5051.45	73498.55	0.00	73498.55	
5	मृदा एवं जल सव्क्षण - गली प्लगिंग / सिल्ट रिटेंशन डैम / कट्टर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	3.87	918.66	0.00	918.66	13366.51	0.00	13366.51	
			190.341	45183.15	67215.00	112398.15	657414.78	977978.25	1635393.03	

कार्य का विवरणी				14.55 युनिट का प्राक्कलित राशि							
	इकाई प्रति	मानव दिवस/ युनिट (सं०)	दर प्रति युनिट				कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	अभ्युक्ति
			मजदूरी	सामग्री/ युनिट ₹०	कुल						
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
2											
(ख) समापन कार्य 2020-21 (द्वितीय वर्ष)											
1	पौधों का कय डुलाई सहित (967+20 प्रतिशत(स्थायी पौधशाला से)	मजदूरी 10 ₹० प्रति	0.00	11500.00	11500.00	0.00	167325.00	167325.00		167325.00	
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	21.28	5809.23	0.00	84524.26	0.00	84524.26		84524.26	
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	प्रति इकाई	24.19	6603.63	0.00	96082.79	0.00	96082.79		96082.79	
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4913.82	0.00	71496.08	0.00	71496.08		71496.08	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0.00	1523.00	0.00	22159.65	0.00	22159.65		22159.65	
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुदण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई	0.00	500.00	0.00	7275.00	0.00	7275.00		7275.00	
	योग		63.47	17326.68	13523.00	30849.68	252103.13	196759.65		448862.78	
(ग) सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2021-22											
1	एक कोड़नी-निकोनी	प्रति इकाई	13.545	4252.32	0.00	61871.22	0.00	61871.22		61871.22	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0.00	0.00	661.40	0.00	9623.37	9623.37		9623.37	
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7534.56	0.00	109627.85	0.00	109627.85		109627.85	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	1.33	417.54	306.00	6075.21	4452.30	10527.51		10527.51	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	2.00	627.88	1200.00	9135.65	17460.00	26595.65		26595.65	
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	41.00	12871.54	712.14	187280.91	10361.64	197642.54		197642.54	
	योग		81.875	25703.84	2879.54	373990.84	41897.31	415888.14		415888.14	
(घ) सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2022-23											
1	एक कोड़नी-निकोनी	प्रति इकाई	13.55	4890.15	0.00	71151.70	0.00	71151.70		71151.70	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0.00	0.00	661.40	0.00	9623.37	9623.37		9623.37	
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	8664.72	0.00	126071.68	0.00	126071.68		126071.68	
4	घेरान की मरम्मति	प्रति इकाई	1.33	480.17	306.00	6986.47	4452.30	11438.77		11438.77	
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	44	15885.32	0.00	231131.41	0.00	231131.41		231131.41	
	योग		82.875	29920.36	967.40	30887.76	14075.67	449416.93		449416.93	

कार्य का विवरणी

14.55 युनिट का प्राक्कलित राशि

दर प्रति युनिट

मानव
दिवस/
युनिट (रु०)

इकाई प्रति

मजदूरी दर- गत वर्ष के दर से 15% वृद्धि के साथ

कुल

सामग्री

कुल

अभ्युक्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(च) सम्प्लोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2023-24	एक कोइली-निकोनी	प्रति इकाई	13.545	5623.61	0.00	5623.61	81823.57	415.18	0.00	81823.57	
1	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पास्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, फिटनासक आदि)	प्रति इकाई	0.00	0.00	661.40	661.40	0.00	0.00	9623.37	9623.37	
2	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	4982.16	0.00	4982.16	72490.43	0.00	0.00	72490.43	
3	पेयान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.33	552.19	306.00	858.19	8034.36	4452.30	4452.30	-12486.66	
4	योग		26.875	11157.96	967.40	12125.36	162348.35	14075.67	14075.67	176424.02	
(छ) सम्प्लोषण कार्य (छठा वर्ष) 2024-25	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5729.52	0.00	5729.52	83364.52	0.00	0.00	83364.52	
1	योग		12.00	5729.52	0.00	5729.52	83364.52	0.00	0.00	83364.52	
(ज) सम्प्लोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2025-26	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6588.96	0.00	6588.96	95869.37	549.08	0.00	95869.37	
1	योग		12.00	6588.96	0.00	6588.96	95869.37	549.08	0.00	95869.37	
(झ) सम्प्लोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2026-27	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	7577.28	0.00	7577.28	110249.42	631.44	0.00	110249.42	
1	योग		12.00	7577.28	0.00	7577.28	110249.42	631.44	0.00	110249.42	
(ट) सम्प्लोषण कार्य (नवम वर्ष) 2027-28	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	8713.92	0.00	8713.92	126787.54	726.16	0.00	126787.54	
1	योग		12.00	8713.92	0.00	8713.92	126787.54	726.16	0.00	126787.54	
(ठ) सम्प्लोषण कार्य (दशम वर्ष) 2028-29	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	10020.96	0.00	10020.96	145804.97	835.08	0.00	145804.97	
1	योग		12.00	10020.96	0.00	10020.96	145804.97	835.08	0.00	145804.97	
	सकल योग -		505.436	167922.62	85552.34	253474.96	2443274.17	1244786.55	1244786.55	3688060.71	

नोट-प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, रांची का पत्रांक 25 दिनांक 26.06.2018 में संलग्न दर के आधार पर तैयार किया गया है।

समिति

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
चौपारण

प्रतिहस्ताक्षरित
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग परिचामी प्रमंडल